

## FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर मुकाम अजमेर

महबूब खां बनाम शाहिद अहमद व अन्य

किस्म मुकदमा / अपील एल0आर0/नं0 83/सन 2018 टोंक

2018/00083

तारीख हुकम	हुकम व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.10.2018	<p>श्री शकिल अहमद</p> <p>पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांट अभि0 श्री शकिल अहमद उपस्थित है। अपील Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जावें। अपीलांट अभिभाषक को अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>प्रकरण में अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अपील मीमो में वर्णित तथ्यों, अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन हम तहसीलदार, उनियारा जिला टोंक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2017 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2390 का क्रियान्वयन को स्थगित किया जाने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन एवं रेस्पोंडेंटस को सुना जाना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः प्रकरण में रेस्पोंडेंटस को नोटिस जारी कर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तबल किया जावें।</p> <p>प्रकरण में उक्त अन्तरिम आदेश सुनाने के तत्काल पश्चात अपीलांट अभिभाषक ने पुनः उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विद्धो किये जाने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण विद्धो किये जाने का आदेश प्रदान करें।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को विद्धो किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर</p>	

Scanned by CamScanner

